अनुदान संख्या 22 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 22 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	2330,14,00	1537,63,97	-792,50,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			792,49,00
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	768,59,00	358,34,64	-410,24,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			410,24,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	112358.00	77793.64	77793.55	-0.09
पु.	R.	-34564.36			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	116588.00	72433.83	72433.79	-0.04
पु.	R.	-44154.17			

(I) ₹3100.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – स्वायत्त परिषदों तथा संविधान की अनुसूची–VI के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अनुदान – स्वायत्त प्रादेशिक परिषद को विशेष विकास पैकेज" के अंतर्गत एक मामले में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3100.00 lakhs remained unutilized in one case under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule-VI of the Constitution - Special Development Package to Autonomous Territorial Council" - due to non-receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं/हुआः–

(II) Under Major Head "2552" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल को अंशदान" –

(A) "Contribution to central resource pool for development of North Eastern Region" -

(क) "पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम" – ₹4649.08 लाख की बचत (₹25870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण–पत्र कम प्राप्त होने तथा वित्तीय मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "North East Special Infrastructure Development Scheme" - saving of ₹4649.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25870.00 lakhs) was due to less receipt of utilization certificates from the State Governments and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें" – ₹9463.09 लाख की बचत (₹29258.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने तथा कोविड–19 प्रतिबंध लगाए जाने के कारण नई परियोजनाएं न लेने के कारण हुई।

(b) "Schemes of North Eastern Council" - saving of ₹9463.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29258.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies and non-taking up of new projects owing to imposition of COVID-19 restrictions.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जाति आर्थिक विकास कल्याण" – ₹6407.72 लाख की बचत (₹15130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Welfare of Scheduled Castes Economic Development" - saving of ₹6407.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15130.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें" – ₹13997.23 लाख की बचत (₹42000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Tribal Area Sub - Plan - Schemes of North Eastern Council" - saving of ₹13997.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42000.00 lakhs).

उप्रयुक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates owing to COVID-19 restrictions and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईः–

(III) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल – पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्यपगत न होने वाले पूल से केन्द्रीय सहायता" – ₹17740.00 लाख की बचत (₹19324.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Central Pool of Resources for North East Region - Central Assistance from Non lapsable Pool of resources for North East and Sikkim" - saving of ₹17740.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19324.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate from the State Governments.

(खा) "पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें" –

(B) "Schemes of North Eastern Council" -

(क) "विशेष विकास परियोजना" – ₹2371.50 लाख की बचत (₹10372.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 प्रतिबंध लगाए जाने के कारण राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Special Development Project" - saving of ₹2371.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10372.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate from the State Governments owing to imposition of COVID-19 restrictions.

(ख) "पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के लिए ईएपी" – ₹5899.99 लाख की बचत (₹34000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "EAP for North East Road Sector Development Scheme" - saving of ₹5899.99 lakhs (against the sectioned provision of ₹34000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए अव्यपगत संसाधनों के पूल से केन्द्रीय सहायता" – ₹3247.86 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Central Assistance from Non lapsable Pool of resources for North East and Sikkim" - saving of ₹3247.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs); and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "विशेष विकास परियोजना" – ₹5145.85 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Special Development Project" - saving of ₹5145.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 प्रतिबंध लगाए जाने के कारण राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की वजह से हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificate from the State Governments owing to imposition of COVID-19 restrictions.

(ख) "स्वायत्त प्रादेशित परिषद को विशेष विकास पैकेज" – ₹3600.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b "Special Development package to Autonomous Territorial Council" - saving of ₹3600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs); and

(ग) "पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹2895.00 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Hill Area Development Programme" - saving of ₹2895.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण–पत्र के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificate from the State Governments.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹315.67 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹315.67 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	73459.00	32435.00	32434.64	-0.36
पु.	R.	-41024.00			

(I) ₹500.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “4552” के अंतर्गत, बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) “सड़कें और सेतु – पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम” – ₹32488.10 लाख की बचत (₹46000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “सामान्य निर्माण – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें – पूंजीगत” – ₹6362.25 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

(गा) “पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास – पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास” – ₹531.14 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण विकासात्मक कार्यकलाप शुरू न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1139.87 लाख की बचतें हुई; जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 96 प्रतिशत थीं।

(I) Provision of ₹500.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head “4552” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Roads and Bridges - North East Road Sector Development Scheme” - saving of ₹32488.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46000.00 lakhs); and

(B) “General Construction - Schemes of North Eastern Council - Capital” - saving of ₹6362.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to less receipt of utilization certificates from the implementing agencies owing to imposition of COVID-19 restrictions.

(C) “Integrated Development of Small and Medium Towns in NE Region - Integrated Development of Small and Medium Towns in NE Region” - saving of ₹531.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-taking up of developmental activities owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under three heads savings of ₹1139.87 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 15 percent to 96 percent of the sanctioned provision.